

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क० निगरानी - एक / 16

लि० 1551-2/16

राजेन्द्र कुमार तनय श्री भिम्मा अहिरवार
आयु 37 वर्ष निवासी ग्राम देरी, तहसील व
जिला छतरपुर म०प्र०

.....आवेदक

विरुद्ध

दूडा तनय श्री रजवा चमार
निवासी ग्राम गहरवार, तहसील व जिला
छतरपुर म०प्र०,

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
12.04.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, तहसील व
जिला छतरपुर प्र०क० 108/अ-6/अपील/2015-16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत
है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, आवेदक राजेन्द्र कुमार तनय भिम्मा अहिरवार ने दिनांक 5 जुलाई 2014 को दूडा तनय श्री रजवा चमार से विक्रय-पत्र द्वारा वाद भूमि खसरा नम्बर 3756 रकवा 1.100 हैक्टेयर भूमि 3,52,000/- (तीन लाख बावन हजार रुपये) में कय की।
- 2- यह कि, उक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदक ने न्यायालय नायब तहसीलदार ईशानगर तहसील छतरपुर के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन लगाया। नायब तहसीलदार ईशानगर ने प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2014-15 पंजीबद्ध कर अपना


Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1551-एक/16

जिला --छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषको हस्ताक्षर
8.12.16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण आगे न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>

R
1/16